



2026:AHC-LKO:12192-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 1486 सन 2026

मेसर्स विवेक कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स, द्वारा प्रोप्राइटर
श्री विवेक कुमार सिंह एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव शहरी विकास
विभाग, लखनऊ एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	अंशुमन सिंह, विपुल सिंह
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शैलेन्द्र सिंह चौहान

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को, श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता को, जिन्होंने नगर निगम की ओर से अपना 'वकालतनामा' दाखिल कर उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसे अभिलेख में ले लिया गया है, तथा विद्वान राज्य अधिवक्ता को सुना गया।

2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य राहत(ओं) की मांग की है:-

"(i) उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 में निहित दिनांक 31.01.2026 को जारी किए गए ई-टेंडर नोटिस को रद्द करने के लिए जारी किया जाए।

(ii) उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित उस आदेश को रद्द करने के लिए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा दिनांक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

24.12.2025 को दिए गए आवेदन, जैसा कि इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 7 में दिया गया है, पर अमीनबाद झंडे वाला पार्क में भूमिगत पार्किंग के अनुबंध को प्रदान करने के लिए दिनांक 16.10.2025 की ई-निविदा सूचना के अनुसरण में प्रारंभ की गई नीलामी प्रक्रिया को रद्द किया गया है, जारी किया जाए, तथा प्रतिवादियों से मूल आदेश और अभिलेख मंगवाए जाएं।

(iii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश, प्रतिवादियों को दिनांक 16.10.2025 की ई-टेंडर सूचना के अनुसार प्रक्रिया को तुरंत पूरा करने और अमीनबाद झंडे वाला पार्क में भूमिगत पार्किंग का ठेका याचिकाकर्ता को, जो कि उच्चतम बोलीदाता है, इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित, न्यायसंगत और उपयुक्त समझे जाने वाली समयबद्ध अवधि के भीतर प्रदान करने का आदेश जारी किया जाए।”

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होंने लखनऊ नगर निगम द्वारा शुरू की गई निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 6 उच्चतम बोलीदाता थी और उन्होंने 92,40,000/- रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 12,65,00,000/- रुपये की वित्तीय बोली प्रस्तुत की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि, बाद में उन्होंने लखनऊ नगर निगम को लिखा कि टंकण त्रुटि के कारण उपरोक्त बोली गलत तरीके से लगाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता की अगली उच्च बोली को स्वीकार करने के बजाय, निविदा प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया और एक नई निविदा प्रक्रिया शुरू की गई।
4. उपरोक्त परिस्थितियों में हमें इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।
5. जब उच्चतम बोलीदाता ने स्वीकृत बोली पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, तो नगर निगम, लखनऊ को निविदा प्रक्रिया को नए सिरे से अधिसूचित करने का पूर्ण अधिकार था।
6. याचिकाकर्ता की पिछली रद्द की गई निविदा के संबंध में जमा की गई बयाना राशि के बारे में शिकायत के संदर्भ में, यदि कानूनी रूप से अनुमति हो तो वह नगर निगम, लखनऊ से वापसी की मांग कर सकता है या यदि वह नई निविदा प्रक्रिया में भाग लेता है तो कानून के अनुसार इसे समायोजित करवा सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. याचिकाकर्ता कानून के अनुसार, नई निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकता है। इसके अलावा, केवल इसलिए कि नई निविदा प्रक्रिया में आरक्षित मूल्य बढ़ाकर 1,30,00,000/- रुपये कर दिया गया है, याचिकाकर्ता को यह याचिका दायर करने का अधिकार नहीं मिल जाता।
8. याचिका का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

फ़रवरी 17, 2026

प्रवीण

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राँय]

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।